

समक्ष लोक अदालत पीठ

स्थान— कोटद्वार

दिनांक —14.12.2024

पीठ संख्या—

02

वाद संख्या/प्रार्थना संख्या

फौजदारी वाद सं० 2171/2022

(वाद पत्र के अनुसार)

याचिकाकर्ता/वादी/शिकायतकर्ता

रमन कुमार

प्रतिवादी/प्रत्युत्तरदाता

निखिल कुमार

वाद की प्रकृति

धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम

उपस्थित

अध्यक्ष, लोक अदालत पीठ—

मनोज कुमार द्विवेदी

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल ।

सदस्यगण , लोक अदालत पीठ—

पवन बंसल , अधिवक्ता, कोटद्वार

पंचाट

उपरोक्त मामला पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु इस लोक अदालत पीठ के समक्ष संदर्भित/प्रस्तुत किया गया । समझौते की शर्तों के अन्तर्गत पंचाट पारित किया गया है :-

परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त मामले में पक्षकारों के मध्य चैक में वर्णित राशि को लेकर समझौता हो गया है तथा परिवादी द्वारा सम्पूर्ण राशि अभियुक्त से प्राप्त कर ली है तथा वह मामले को आगे नहीं चलाना चाहता । अतः परिवाद का निस्तारण करने का कथन किया । अतः परिवादी द्वारा परिवाद पर बल नहीं दिये जाने के कारण यह परिवाद निरस्त किया जाता है ।

सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अध्यक्ष

(पवन बंसल)

(मनोज कुमार द्विवेदी)